



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 23 राँची, बुधवार
5 श्रावण, 1944 (श०)
27 जुलाई, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 179 -187 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4-झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क-स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5-झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2-झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9- विज्ञापन ---
भाग-2-झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 मई, 2022

संख्या-1/ विविध-838/2016 कां०- 3346--सुश्री आकांक्षा रंजन, भा.प्र.से. (झा:2013), निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-13.06.2022 से 02.07.2022 तक कुल 20 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

1 जून, 2022

सं०सं०-03/नि०सं०-09-29/2020 का. 3422--श्री राजेश प्रजापति, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-813/03), तत्कालीन उप नगर आयुक्त, गिरिडीह, सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 04.02.2022 से दिनांक 27.03.2022 तक (कुल 52 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 जुलाई, 2022

संख्या-13/पी2-102/2020- 2889--सी०, श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० (1990), अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक कोटि (वेतनमान-पे-मैट्रिक्स का लेवल-16) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० के द्वारा महानिदेशक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को स्थिति एवं उत्तरदायित्व हेतु भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समतुल्य घोषित किया जाता है ।

उक्त प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ०आर० 22 (1) (ए) (2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22 (1) (2) also there is a provision that on appointment on regular basis of such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SAVITRI DEVI अन्य नाम SAVITA DEVI पति Late GANGA THAKUR,
शपथ पत्र सं० 24, दिनांक 9 जुलाई, 2022 के अनुसार SAVITRI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।
SAVITRI DEVI एवं SAVITA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - H.NO. ROAD -3, BHAGAT KOCHA,
DIVADIH,
P.S.- DORANDA,
DIST.- RANCHI,
PIN- 834002
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ADITI DEVI अन्य नाम ABDA KHATUN पति SRI SIKANDAR KUMAR,
शपथ पत्र सं० 33, दिनांक 23 जून, 2022 के अनुसार ADITI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।
ADITI DEVI एवं ABDA KHATUN दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE- AMARAPARA, SANTHALI,
P.O.& P.S.- AMARAPARA,
DIST.- PAKUR,
PIN - 814111
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MAJOR RAGHVENDRA SINGH, APRAMEYA SINGH (अन्य नाम AYAN SINGH) का पिता शपथ पत्र सं० 148, दिनांक 21 जून, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा APRAMEYA SINGH (जन्म तिथि 24 जनवरी, 2012) के नाम से जाना जायेगा ।

APRAMEYA SINGH एवं AYAN SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - QRT. NO. 1D/5W CMPDI COLONY,
KANKE ROAD,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ARYAVEER SINGH अन्य नाम RISHABH SINGH पिता MAJOR RAGHVENDRA SINGH, शपथ पत्र सं० 149, दिनांक 21 जून, 2022 के अनुसार ARYAVEER SINGH के नाम से जाना जाऊँगा ।

ARYAVEER SINGH एवं RISHABH SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - QRT. NO. 1D/5W CMPDI COLONY,
KANKE ROAD,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAM ESHWAR TIWARY अन्य नाम CHHOTAN TIWARI पिता Late SARYU TIWARY, शपथ पत्र सं० 12, दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के अनुसार RAM ESHWAR TIWARY के नाम से जाना जाऊँगा ।

RAM ESHWAR TIWARY एवं CHHOTAN TIWARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - CHANAKYA NAGAR,
P.O.- K.G. ASHRAM,
P.S.- SARAIIDHELA,
DIST.- DHANBAD,
PIN - 828109
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KAMLA DEVI SHEKHAR अन्य नाम KAMALA DEVI पति SUDHANSHU SHEKHAR, शपथ पत्र सं० 4156, दिनांक 29 जून, 2022 के अनुसार KAMLA DEVI SHEKHAR के नाम से जानी जाऊँगी ।

KAMLA DEVI SHEKHAR एवं KAMALA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE- 298, KHUNTI ROAD NEAR ICE FACTORY,
BIRSA NAGAR, BIRSA CHOWK,
P.S.- JAGARNATHPUR,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RITVIK RAJ PANDEY अन्य नाम RISHU RAJ पिता SRI SATISH KUMAR PANDEY, शपथ पत्र सं० 200, दिनांक 28 मार्च 2022 के अनुसार RITVIK RAJ PANDEY के नाम से जाना जाऊँगा ।

RITVIK RAJ PANDEY एवं RISHU RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILLAGE- REDMA, SRI RAM PATH,
PANKI ROAD,
P.O.- G.L.A. COLLEGE,
P.S.- DALTONGANJ,
DIST.- PALAMAU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं GULSHAN PATHAK अन्य नाम ANKIT PATHAK पिता Late BUCHNESHWAR PATHAK, शपथ पत्र सं० 1727, दिनांक 24 मार्च 2022 के अनुसार GULSHAN PATHAK के नाम से जाना जाऊँगा ।

GULSHAN PATHAK एवं ANKIT PATHAK दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SAKIN- DUMARIYA,
P.S.- GODDA "MOO",
DIST.- GODDA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ARCHANA SINGH अन्य नाम BABITA SINGH पति SATYENDRA KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 09, दिनांक 29 जून, 2022 के अनुसार ARCHANA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

ARCHANA SINGH एवं BABITA SINGH दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 1 C-52, 1-C, STAFF COLONY,
SAYAL URIMARI,
P.O.& P.S- BHURKUNDA,
DIST.- RAMGARH,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MARY KERKETTA अन्य नाम MARY SORENG पति Late SAMUEL SORENG, शपथ पत्र सं० 161, दिनांक 23 मई, 2022 के अनुसार MARY KERKETTA के नाम से जानी जाऊँगी।

MARY KERKETTA एवं MARY SORENG दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR ST. FRANCIS SCHOOL,
ARGORA TONGRI TOLI,
P.O.- HINOO,
P.S- ARGORA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ARATI MAHAPATRA, पति SURESH KUMAR MAHAPATRA, PRAVYARAJ MAHAPATRA (अन्य नाम AADARSH BASUDEV) कि माता शपथ पत्र सं० 59, दिनांक 6 जून, 2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र PRAVYARAJ MAHAPATRA (जन्म तिथि - 6 जनवरी, 2011) के नाम से जाना जायेगा ।

PRAVYARAJ MAHAPATRA एवं AADARSH BASUDEV दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - TATA CENTRAL HOSPITAL,
P.O.- BHAGA,
P.S.- JORAPOKHAR,
DIST- DHANBAD,
PIN- 828301
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं VEENA DEVI अन्य नाम VEENA RANI पति SRI RAJENDRA RAM, शपथ पत्र सं० 29, दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के अनुसार VEENA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी ।

VEENA DEVI एवं VEENA RANI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - FLAT NO.- 308 3RD FLOOR,
SHIVESHWARI ENCLAVE,
WING A, HARIHAR SINGH ROAD,
MORHABADI, RANCHI,
P.S.- BARIATU,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (साधारण) 23 -- 50 ।